मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा विभागाध्यक्षों आदि को सम्बोधित परिपत्र क्रमांक 11/8/78 जी0 एस0ब।-/ दिनांक 13-3-78 की प्रति ।

विषय :—संविधान की धारा 311(2) के परन्तुक (सी) के तहत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही सेवा से पदच्युत/निष्कासित कर्मचारियों के मामलों का पुनरीक्षण ।

मुझे निदेश हुआ है गि उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 5672-3 जी0 एस0-I-77/25092, दिनांक 14-9-1977 की ओर दिलाऊं और भारत सरकार के पत्र क्रमांक 34013/4 (एस)/77-स्थापना (बी), दिनांक 1-11-1977 तथा इसके अनुलग्नकों की प्रति संलग्न करते हुए आपसे अनुरोध करूं कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामलों में ऐसी कार्यवाही की जाये ।

2. इस सम्बन्ध में वित्त सिभाग की सहमति उनके अशा: क्रमांक 636-I-एफ0 जी0-I-78, दिनांक 15-2-1978 द्वारा ले ली गई है ।

3. कृपया इसकी पावती भेज दें ।

भवदीय,
हस्ता0
उप-सचिव सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

क्रमांक 11/8/78-जी0 एस0-I, चण्डीगढ, दिनांक 13-3-1978

एक प्रति वित्तायुक्त राजस्व सभी प्रशासकीय सचिव को अनुलग्नकों सहित, महालेखाकार, हरियाणा, चण्डीगढ़ को हरियाणा सरकार के पृष्ठाकन क्रमांक 5672-3 जी0 एस0-I-77/25093, दिनांक 14-9-77 के संदर्भ में सूचनार्थ भेजी जाती है ।